हिन्दुस्तान

नकली चायपत्ती व नमक बरामद, प्राथमिकी दर्ज

हिन्दुस्तान टीम,दरभंगा Newswrap • Sun, 16 Jan 2022 05:01 PM

कमतौल।थाना क्षेत्र के ढ़ढिया गांव निवासी रमेश झा के आवास पर कमतौल थाने की पुलिस ने संबंधित निर्माता कंपनी के जांच अधिकारी की मौजूदगी में भारी मात्रा में नकली सामानों को बरामद कर मकान मालिक सह कारोबारी रमेश के विरुद्ध कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 63 एवं 65 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कारवाई प्रारंभ कर दी है। इस संबंध में कंपनी के जांच अधिकारी संतोष कुमार झा ने कमतौल थाने को दिए आवेदन में उल्लेख किया है कि गुप्तचरों से मिली शिकायत पर नामजद रमेश के घर से एक प्रतिष्ठित कंपनी की नकली चायपत्ती, नमक व बाथरूम साफ करने वाला केमिकल बरामद किया है। नामजद रमेश काफी दिनों से नकली सामान तैयार कर कंपनी को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। मामले का अनुसंधान सअनि गोपाल कुमार गुप्ता कर रहे हैं।

Source:https://www.livehindustan.com/bihar/darbhanga/story-fake-tea-leaves-and-salt-recovered-fir-registered-5588923.html